Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में आरोपी राजेश कुमार खण्डेलवाल एएओ (द्वितीय) पेशंन विभाग लालकोठी जयपुर 10,000/- रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।**

जयपुर दिनांक 09 फरवरी 2026, सोमवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी जयपुर नगर चतुर्थ जयपुर ईकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये आरोपी **राजेश कुमार खण्डेलवाल, एएओ (द्वितीय) पेंशन विभाग, लालकोठी जयपुर को 10,000/-रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों हिरासत में लिया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान, जयपुर के **महानिदेशक श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी जयपुर नगर चतुर्थ, जयपुर को एक शिकायत इस आशय की मिली की परिवादी के पिताजी की मृत्यु होने के पश्चात् माता को पूर्ण पेंशन नहीं मिल रही थी उक्त पूरी पेंशन बनाने की एवज में आरोपी राजेश खण्डेलवाल एएओ पेंशन विभाग जयपुर द्वारा परिवादी से पूरी पेंशन बनाने की एवज में दस हजार रूपए तथा पूर्व का एरियर बनाने की एवज में एरियर राशि का दस प्रतिशत के हिसाब से रिश्वत राशि की मांग की जाकर दिनांक 19.01.2026 को हुई मांग के अनुसार आज दिनांक को आरोपी के द्वारा परिवादी से 10,000/- रूपए प्राप्त किए। रिश्वत राशि 10,000/- रूपये बरामद हो चुकी है।

एसीबी जयपुर रेंज के **उप महानिरीक्षक द्वितीय श्री आनन्द शर्मा** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. चौकी जयपुर नगर चतुर्थ जयपुर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ज्ञानप्रकाश नवल** के नेतृत्व में **पुलिस निरीक्षक श्री रामजी लाल** एवं अन्य के ट्रैप कार्यवाही करते हुए आरोपी राजेश खण्डेलवाल, एएओ पेंशन विभाग, लालकोठी जयपुर को **10,000/- रूपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों डिटेन किया गया है। अन्य की भूमिका के संबंध में पूछताछ जारी है।

एसीबी के **महानिरीक्षक श्री सत्येन्द्र कुमार** के सुपरवीजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।